PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2/9 दिनांकः 30.01.2019

विषयः उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति द्वारा दिनांक 23.01.2019 को दिये गये आन्दोलनात्मक नोटिस के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/
अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/
अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,......................।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 24/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 08.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के आदेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका सं0 115/2018 में दिनांक 29.08.2018 को पारित निर्णय में दिये गये आदेश की छायाप्रति, संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत सेवारत कार्मिकों के द्वारा किये जाने वाली किसी भी प्रकार की अवैधानिक हड़ताल को प्रतिबन्धित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा अपने पत्रांक 03/उ0वि0अधि0कर्म0सु0स0मोर्चा/नोटिस दिनांक 28.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आन्दोलनात्मक नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोर्चा उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति के दिनांक 04.02.2019 तक के समस्त कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करेगा। उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति द्वारा आन्दोलन कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है :–

1. दिनांक 31.01.2019 – सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त कार्मिक/शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहेंगें।
2. दिनांक 04.02.2019 – सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त कार्मिक/शिक्षक परेड ग्राउन्ड, देहरादून में एकत्र होकर प्रदेश व्यापी महारैली में प्रतिभाग करते हुए सचिवालय कूच करेंगें। इसी तिथि को प्रदेश व्यापी आम हड़ताल की तिथि की घोषणा की जायेगी ।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिनांकों को किसी भी कार्मिक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

कारपोरेशन का कार्य आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है, जिस कारण कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के

क्रमशः.................2

प्राविधान लागू होते हैं, जिस हेतु आप अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को यह भी अवगत करा दें कि उक्त कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** का सिद्धान्त लागू करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगें।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त तिथियों की उपस्थिति सूचना प्रत्येक दिवस में प्रातः 10:30 बजे तक ई–मेल hr@ptcul.org पर उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तिथियों में अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कार्मिक की समय–समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है अथवा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं कारपोरेशन में औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

संलग्नक : यथोपरि।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 145 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2/9, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30-1-19

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी –कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा

18 ई0सी0रोड़ देहरादून (मोबाइल नं0–9720797920)

पत्रांकः– 03/उ0 वि0 अधि0 कर्म0 सं0 सं0 मोर्चा

दिनॉक–28.01.2019

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएनलि0
"उज्जवल" महारानी बाग,
देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल,
वीसीवी गबर सिंह भवन,
कॉवली रोड, देहरादून।

प्रबन्ध निदेशक पिटकुल,
विद्युत भवन, आई.एस.बी.टी
माजरा देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति द्वारा दिनॉक 23.01.2019 को दिये आन्दोलनात्मक नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित करना है कि सरकार की कर्मचारी नीति के विरूद्व उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति द्वारा प्रदेश के सचिवालय सहित प्रदेश के सभी विभागों/निगमों के अधिकारी/कर्मचारियों/शिक्षकों की समस्याओं का समाधान न होने के कारण उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी–कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पत्रांक–01/ उ0अ0क0सं0स0मो0/नोटिस दिनॉक 16.01.2019 को प्रेषित आन्दोलन नोटिस के कार्यक्रम को उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पत्रांक–01/उ0अ0क0शि0स0स0/19/ दिनॉक 25.01.2019 (नोटिस संलग्न) के द्वारा प्रेषित कार्यक्रम के समर्थन में दिनॉक 05.02.2019 तक स्थगित किया जाता है

अतः आपको सूचित करना है कि उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी –कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति के दिनॉक 04.02.2019 तक के समस्त कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

कृपया उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति के आन्दोलनात्मक नोटिस की प्रति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

(इंसारूल हक)
संयोजक

अध्यक्ष/सचिव
हाइड्रोइलेक्ट्रीक इम्पलाइज यूनियन उत्तराखण्ड

अध्यक्ष/महामंत्री
उत्तराखण्ड उर्जा कामगार संगठन

अध्यक्ष/सचिव
उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ

अध्यक्ष/सचिव
विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ

अध्यक्ष/सचिव
विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन

अध्यक्ष/सचिव
विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

अध्यक्ष/सचिव
उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

अध्यक्ष/सचिव
उत्तराखण्ड पावर लेखा ऐसोसिएशन

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव उर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/श्रम आयुक्त देहरादून।

(इंसारूल हक)
संयोजक

उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति

(सचिवालय सहित प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों का संयुक्त समन्वित समूह)

संयोजक मंडल

दीपक जोशी
(अध्यक्ष, सचिवालय संघ)
मो0 9927699001

ठा0प्रहलाद सिंह
(मु0संयो0, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा)
मो0 9411527171

संतोष रावत
(संयो0सचिव, उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा)
मो0 9412055296

नवीन काण्डपाल
(मु0संयो0, उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच)
मो0 9412962329

सुनील दत्त कोठारी
(सचिव संयो0,उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच)
मो0 9837256011

राकेश जोशी
(महासचिव,सचिवालय संघ)
मो0 9927699846

पत्रांकः– 01 / उ0 अ0क0शि0स0स0/19 देहरादून, दिनांक 23/1/2019

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखंड सरकार।

विषयः– **सरकार की कर्मचारी नीति के विरूद्ध प्रदेश के सभी कर्मचारी एवं शिक्षक वर्ग द्वारा गठित समन्वय समिति एवं संयोजक मण्डल की सूचना तथा इस सम्बन्ध में गठित समन्वय समिति द्वारा पारित मांग पत्र पर कार्यवाही किये जाने वाले आन्दोलन के नोटिस की सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के संयोजन/आहवान पर दिनांक 22 जनवरी, 2019 को अपरान्ह 3:00 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन में सचिवालय संघ, उत्तराखण्ड अधिकारी,कर्मचारी समन्वय मंच एवं उत्तराखण्ड कार्मिक, शिक्षक, आऊटसोर्स संयुक्त मोर्चा सहित प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों/संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। बैठक में उपस्थित प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों/संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की कर्मचारी नीति का एक स्वर में विरोध करते हुये कर्मचारी, शिक्षकों से सम्बन्धित कॉमन मांगों को पूरा कराये जाने के उदेद्श्य से सर्वसम्मति से "उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति" का गठन करते हुये निम्न पदाधिकारियों के संयोजन में संयोजक मण्डल गठित किया गयाः–

1. श्री दीपक जोशी, अध्यक्ष सचिवालय संघ
2. श्री राकेश जोशी, महासचिव, सचिवालय संघ।
3. श्री नवीन काण्डपाल, मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी समन्वय मंच
4. श्री सुनील दत्त कोठारी, सचिव संयोजक, उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी समन्वय मंच
5. ठा0 प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक, उत्तराखण्ड कार्मिक,शिक्षक,आऊटसोर्स संयुक्त मोर्चा
6. श्री संतोष रावत, संयोजक सचिव, उत्तराखण्ड कार्मिक,शिक्षक,आऊटसोर्स संयुक्त मोर्चा

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संघो/परिसंघो/मोर्चा/मंच द्वारा सर्वसम्मति से निम्न मांगों पर सरकार/शासन से तत्काल कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गयाः–

मांग पत्र

1. मकान किराये भत्ते की देयता 8, 12, 16 प्रतिशत के अनुरूप अनुमन्य करते हुये अन्य देय भत्तों में वृद्धि की जाय।
2. राज्य/निगम कर्मचारियों हेतु वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के स्थान पर पूर्व व्यवस्था के अनुरूप 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान सहित अनुमन्य किया जाना तथा ऊर्जा विभाग में पूर्व व्यवस्था 9, 14, 19 वर्ष पर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर ए0सी0पी0 देय की जाय। साथ ही प्रदेश के शिक्षकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में 03 प्रोन्नति अथवा 03 ए0सी0पी0 का लाभ अनिवार्य किया जाये।
3. शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को यथावत लागू किया जाय।
4. नयी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाय।
5. अटल आयुष्मान योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले सभी कार्मिकों को सरकारी चिकित्सालय से संदर्भण (रैफर) की अनिर्वायता की बाध्यता को समाप्त करते हुये प्रदेश के समस्त कार्मिकों हेतु एक समान नीति लागू की जाय।
6. प्रदेश मे राज्य कर्मचारियों के पक्ष में निर्गत होने वाले शासनादेश/आदेश को एक समान रूप से समस्त निगम/निकाय/संस्थान/प्रधिकरण/जिला पंचायत के कार्मिकों के पक्ष में समान तिथि को ही एक साथ निर्गत किया जाय।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य संवर्गो की भांति स्टाफिंग पैर्टन का लाभ देते हुये ग्रेड वेतन रू0 4200 का अधिकतम लाभ प्रदान किया जाय तथा राजकीय वाहन चालकों को स्टाफिंग पैटर्न के प्रथम स्तर ग्रेड वेतन 2400 को इग्नोर करते हुये ग्रेड वेतन 2800, 4200, 4600 एवं 4800 अनुमन्य किया जाय।

उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक
समन्वय समिति

(सचिवालय सहित प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों का संयुक्त समन्वित समूह)

ोजक मंडल

पक जोशी
ध्यक्ष, सचिवालय संघ)
0 9927699001

0प्रहलाद सिंह
संयो0, उत्तराखण्ड कार्मिक,
क, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा)
0 9411527171

तोष रावत
0सचिव, उत्तराखण्ड कार्मिक,
क, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा)
9412055296

ीन काण्डपाल
संयो0, उत्तराखण्ड अधिकारी
री समन्वय मंच)
9412962329

ील दत्त कोठारी
संयो0,उत्तराखण्ड
ारी कर्मचारी समन्वय मंच)
9837256011

ेश जोशी
सचिव,सचिवालय संघ)
9927699846

पत्रांकः– 01/उ० अ० क० शि० स० स०/19 देहरादून, दिनांक 23/1/2019

8. दिनांक 01.01.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन का निर्धारण विषयक वित्त विभाग के शासनादेश–317 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या–6 की शर्त को विलोपित किया जाय।
9. उपनल/आऊटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के अनुरूप समान वेतन का लाभ दिया जाय।
10. स्वायतशासी निकायों की भॉति निगमों में भी पूर्व से कार्यरत कार्मिकों हेतु पेन्शन व्यवस्था को लागू किया जाय ।

उपरोक्त मॉगों का अपेक्षित निराकरण दिनांक 30.01.2019 तक न किये जाने की स्थिति में **उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति** द्वारा निम्नवत आन्दोलन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

आन्दोलन कार्यक्रम

1. **दिनांक 31.01.2019– सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त कार्मिक/शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।**
2. **दिनांक 04.02.2019– सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त कार्मिक/शिक्षक परेड ग्राउन्ड, देहरादून में एकत्र होकर प्रदेश व्यापी महारैली में प्रतिभाग करते हुयें सचिवालय कूच करेंगे। इसी तिथि को प्रदेश व्यापी आम हडताल की तिथि की घोषणा की जायेगी।**

अतः उपरोक्त मांगो के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिकारी–कर्मचारी–शिक्षक समन्वय समिति का अनुरोध/मांग है कि दिनांक 30.01.2019 तक सरकार के स्तर पर संवाद स्थापित करते हुये उक्त मांगो का अपेक्षित निराकरण कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित आन्दोलन कार्यक्रम, हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूण जिम्मेदारी सरकार/शासन की होगी।

भवदीय

(दीपक जोशी) संयोजक | (नवीन काण्डपाल) संयोजक | (ठा0प्रहलाद सिंह) संयोजक | (संतोष रावत) संयोजक | (सुनील दत्त कोठारी) संयोजक | (राकेश जोशी) संयोजक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूॅ।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. प्रदेश के समस्त परिसंघ/विभागीय सेवा संघों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. समस्त प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधि।

(दीपक जोशी) संयोजक | (नवीन काण्डपाल) संयोजक | (ठा0प्रहलाद सिंह) संयोजक | (संतोष रावत) संयोजक | (सुनील दत्त कोठारी) संयोजक | (राकेश जोशी) संयोजक